

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

क्रमांक/2/अवि./सेल-टी.पी./2018/45-H

भोपाल, दिनांक 16.01.2018

:: आदेश ::

प्रशासकीय कार्य सुविधा की दृष्टि से श्री प्रमोद कासने नेत्रसहायक, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र नूराबाद, जिला-मुरैना को प्रशासकीय आधार पर स्थानांतरित करते हुए मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला-राजगढ़ के अधीन तत्काल प्रभाव से अन्य आगामी आदेश तक पदस्थ किया जाता है।

"आयुक्त स्वास्थ्य द्वारा अनुमोदित"

 16.1.18

(विवेक श्रोत्रिय)

अपर संचालक (प्रशासन)
संचालनालय, स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

क्रमांक/2/अवि./सेल-टी.पी./ 2018/46-H

भोपाल, दिनांक 16.01.2018

प्रतिलिपि : सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु -

1. विशेष सहायक, माननीय स्वास्थ्य मंत्री/स्वास्थ्य राज्य मंत्रीजी, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मध्यप्रदेश।
2. निज सहायक, आयुक्त स्वास्थ्य/ संचालक (प्रशासन), स्थानीय कार्यालय।
3. क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवायें ग्वालियर/भोपाल संभाग मध्यप्रदेश।
4. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला-मुरैना/राजगढ़ मध्यप्रदेश।
5. सिविल सर्जन, सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक, मुरैना/राजगढ़ मध्यप्रदेश।
6. जिला कोषालय अधिकारी, जिला- मुरैना/राजगढ़ मध्यप्रदेश।
7. प्रभारी, एम.आई.एस. शाखा, स्थानीय कार्यालय।
8. संबंधित कर्मचारी की ओर तत्काल पालनार्थ।
9. आदेश नस्ती।

 16.1.18

अपर संचालक (प्रशासन)
संचालनालय, स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

क्रमांक/2/अवि./सेल-टी.पी./2018/47-H

भोपाल, दिनांक 16.01.2018

:: आदेश ::


संचालनालय के आदेश क्रमांक 02/अवि./सेल-टी.पी./अति./2017/534-B भोपाल, दिनांक 10.07.2017 के सरल क्रमांक 14 पर अंकित श्री राजेश शर्मा, नेत्र सहायक जिला चिकित्सालय मुरैना का प्रशासकीय स्थानांतरण मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, राजगढ़ के अधीन किया गया था।

उक्त स्थानान्तरण आदेश के विरुद्ध श्री राजेश शर्मा द्वारा माननीय उच्च न्यायालय खण्डपीठ ग्वालियर में याचिका क्रमांक 5111/2017 दर्ज की गई जिस पर मान.उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 11.08.2017 में संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें को संबंधित के अभ्यावेदन का निराकरण करने के निर्देश दिये गये हैं।

मान.उच्च न्यायालय खण्डपीठ ग्वालियर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 11.08.2017 के पालन में श्री शर्मा द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन में उनके द्वारा स्वयं म.प्र.राज्य कर्मचारी संघ में चंबल संभाग के संभागीय कोषाध्यक्ष पद के पदाधिकारी नियुक्त होने के आधार पर स्थानांतरण नीति अनुसार कर्मचारी संघ के पदाधिकारियों को छूट का प्रावधान होने का लेख करते हुए स्वयं का राजगढ़ किया गया स्थानांतरण निरस्त किये जाने हेतु निवेदन किया है।

श्री राजेश शर्मा द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन में उल्लेखित बिन्दुओं, स्थानांतरण नीति एवं प्रकरण में माननीय न्यायालय निर्णय के परिप्रेक्ष्य में परीक्षणोपरान्त श्री राजेश शर्मा, नेत्र सहायक का जिला चिकित्सालय मुरैना से मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, राजगढ़ के अधीन किया स्थानांतरण तत्काल प्रभाव से निरस्त करते हुए श्री राजेश शर्मा, नेत्रहायक को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, नूराबाद जिला-मुरैना में पदस्थ किया जाता है।

"स्वास्थ्य आयुक्त द्वारा अनुमोदित"


11.1.18
(विवेक श्रोत्रिय)


अपर संचालक (प्रशासन)
संचालनालय, स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

क्रमांक/2/अवि./सेल-टी.पी./ 2018/48-H

भोपाल, दिनांक 16.01.2018

प्रतिलिपि : सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु -

1. विशेष सहायक, माननीय स्वास्थ्य मंत्री/स्वास्थ्य राज्य मंत्रीजी, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मध्यप्रदेश।
2. निज सहायक, आयुक्त स्वास्थ्य/ संचालक (प्रशासन), स्थानीय कार्यालय।
3. क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवायें ग्वालियर/भोपाल संभाग मध्यप्रदेश।
4. उप संचालक लीगल शाखा स्थानीय कार्यालय की ओर आदेश में उल्लेखित न्यायालय प्रकरण के संदर्भ में आवश्यक कार्यवाही हेतु।
5. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला-मुरैना/राजगढ़ मध्यप्रदेश।
6. सिविल सर्जन, सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक, मुरैना/राजगढ़ मध्यप्रदेश।
7. जिला कोषालय अधिकारी, मुरैना/राजगढ़ मध्यप्रदेश।
8. प्रभारी, एम.आई.एस. शाखा, स्थानीय कार्यालय।
9. संबंधित कर्मचारी की ओर तत्काल पालनार्थ।
10. आदेश नस्ती।


अपर संचालक (प्रशासन)
संचालनालय, स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

क्रमांक/2/अवि./सेल-टी.पी./2018/28-H

भोपाल, दिनांक 10.01.2018

:: आदेश ::

संचालनालय के आदेश क्रमांक 02/अवि./सेल-टी.पी./स्था./2017/534-बी भोपाल, दिनांक 10.07.2017 के सरल क्रमांक 19 पर अंकित श्री अक्षय शर्मा, मुख्य लिपिक क्षेत्रीय कार्यालय ग्वालियर का कार्यालय सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक, शिवपुरी किया गया स्थानांतरण तत्काल प्रभाव से निरस्त करते हुए श्री अक्षय शर्मा को प्राचार्य, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण प्रशिक्षण केन्द्र सिटी सेंटर ग्वालियर में पदस्थ किया जाता है। शेष प्रविष्टिया एवं शर्तें यथावत रहेंगी।

"आयुक्त स्वास्थ्य द्वारा अनुमोदित"



(विवेक श्रोत्रिय)

अपर संचालक (प्रशासन)
संचालनालय, स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

क्रमांक/2/अवि./सेल-टी.पी./ 2018/29-H

भोपाल, दिनांक 10.01.2018

प्रतिलिपि : सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु -

1. विशेष सहायक, माननीय स्वास्थ्य मंत्री/स्वास्थ्य राज्य मंत्रीजी, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मध्यप्रदेश।
2. निज सहायक, आयुक्त स्वास्थ्य/ संचालक (प्रशासन), स्थानीय कार्यालय।
3. क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवायें ग्वालियर संभाग मध्यप्रदेश।
4. प्राचार्य, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण प्रशिक्षण केन्द्र सिटी सेंटर ग्वालियर म.प्र.।
5. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला-शिवपुरी मध्यप्रदेश।
6. सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक, शिवपुरी मध्यप्रदेश।
7. जिला कोषालय अधिकारी, जिला-शिवपुरी/ग्वालियर मध्यप्रदेश।
8. प्रभारी, एम.आई.एस. शाखा, स्थानीय कार्यालय।
9. संबंधित कर्मचारी की ओर तत्काल पालनार्थ।
10. आदेश नस्ती।

 9/1/18

अपर संचालक (प्रशासन)
संचालनालय, स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश